Case No. 1/2018

Witness No.(07) For -.......................अभियोजन साक्ष्य..................Deposition taken the 07-04-18 day of ....शनिवार.............. Witness's apparent age -31 State on affirmation.......शपथपूर्वक.......My name is –......रामदयाल वर्मा.................. D/of -...........श्री मनीराम............Occupation –.................मिस्त्री काम.............................. addres................ग्राम ढाबा थाना गंडई जिला राजनांदगांव(छ.ग.)...

1/ मैं आरोपी राकेश वर्मा को नहीं पहचानता। मैं प्रार्थी किशोरी लाल साहू को नहीं जानता। घटना आज से लगभग दो–तीन माह पूर्व की है। हाई स्कूल में सफाई कर्मचारी पुरण वर्मा मेरे घर आकर बताया कि स्कूल में चोरी हो गया है। तब मैं पुरण वर्मा के साथ हाई स्कूल गया। मैं स्कूल के अंदर नहीं घुसा, मैं स्कूल के बाहर खड़ा था मैंने स्कूल के मुख्य दरवाजे को बाहर से देखा जिसमें लगा हुआ ताला टूटा हुआ था। उस समय मेरे साथ सुरूज लाल भी उपस्थित था। हम तीनों घटना के संबंध में बताने के लिए गांव के सरपंच, कोटवार के पास गये।

2/ सरपंच, कोटवार को घटना के बारे में बताने के बाद मैं स्कूल दोबारा नहीं गया। मैं अपने काम से चला गया। पुलिस ने मेरा बयान नही लिया था। पुलिस ने केवल मुझसे हस्ताक्षर करवाया और मेरा आधार कार्ड की फोटो कॉपी लिया था।

प्रतिपरीक्षण वास्ते अधिवक्ता श्री सतीश सिंघानिया वास्ते आरोपी–

3/ कुछ नहीं।

टीपः– पुनः परीक्षा– कुछ नहीं।

पुनः प्रतिपरीक्षा कुछ नहीं।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,	मेरे निर्देषानुसार
सही होना स्वीकार किया।	टंकण किया गया।
–सही–	–सही–
(कु. सुमन ध्रुव)	(कु. सुमन ध्रुव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
छुईखदान, जिला राजनांदगांव.	छुईखदान, जिला राजनांदगांव.